(14) स्पष्ट कर देना चाहिए। सैद्धान्तिक रूप में जाति की जड़ समाज के वर्ण-विभाजन में छिपी हुई है जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का विभाजन है। स्पष्टतः वर्ण का रूप (VERNA MODEL) वृहत संरचना की प्रकृति का है पर वास्तविक तौर पर देखें तो यह वर्ण प्रारूप राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं करता है क्योंकि जाति मूल रूप से एक क्षेत्रीय घटना है जो सूक्ष्म संरचना (Micro structure) की प्रकृति का है। योगेन्द्र सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सारे ब्राह्मणों की पदस्थिति पूरे देश में न तो एक समान है और न ही सारे देश के ब्राह्मण एक अंतर्विवाही समूह का निर्माण करते हैं। इसका कारण संस्कृति के साथ-साथ भाषायी विभिन्नता भी है। इसके अलावे अनेक ऐसी जातियाँ हैं जो देश के विभिन्न भागों में नहीं पायी जाती हैं बल्कि क्षेत्र विशेष में सिमटी हुई है जैसे जाट सिर्फ केवल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में ही बसे हुये हैं। भूमिहार, कहार एवं केवल बिहार और U.P. में पाये जाते हैं। रेड्डी आन्ध्र प्रदेश में तो ओकालिगा कर्नाटक में सिमटे हुये हैं। इस तरह स्पष्ट है कि भिन्न-भिन्न जातियाँ क्षेत्रीय चरित्र की हुई है अतः जाति व्यवस्था को VARNA MODEL के आधार पर विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। इसे हम एक क्षेत्रीय घटना मानकर अंतर्विवाही समूह के रूप में विश्लेषित करें तो इसकी सही समझदारी बन सकती है।

योगेन्द्र सिंह का यह भी कहना है कि जाति को जहाँ कुछ समाजशास्त्री एक संरचनात्मक इकाई मानते हैं वहीं कुछ समाजशास्त्री इसे एक सांस्कृतिक घटना मानते हैं। इसी तरह कुछ समाजशास्त्री जहाँ इसे केवल भारतीय समाज की विशेषता मानते हुए इसे एक विशिष्ट घटना के रूप में देखते हैं वहीं कुछ समाजशास्त्री यह मानते हैं कि जाति सदृश्य संस्थाएँ विश्व के अन्य समाजों में भी पायी जाती हैं। स्पष्टतः जाति को विश्लेषित करने के चार तरीके हैं -

(1) संरचनात्मक विशिष्टात्मक।
(2) संरचनात्मक सार्वभौमिक।
(3) सांस्कृतिक विशिष्टात्मक।
और (4) सांस्कृतिक सार्वभौमिक।

Remaining Part सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधार

परन्तु योगेन्द्र सिंह का कहना है कि भारत में (6)
अधिकांश अध्ययन जाति को संरचनात्मक विश्लेषण इकाई मानकर ही किया गया है और इसी के आधार पर जाति को समझने की चेष्टा की गयी है। इसके अनुसार जाति एक सोपानात्मक व्यवस्था है जो पवित्रता एवं अपवित्रता की भावना पर आधारित है। स्पष्टतः इसमें असमानता के तत्व मौजूद हैं। जाति की पदस्थिति जन्म द्वारा निर्धारित होती है, जाति के सदस्य अपने वंशानुगत पेशा को अपनाते हैं तथा जाति में खान-पान, सामाजिक सहवास, पेशा और विवाह सम्बन्धी अपने नियम पाये जाते हैं। Maack का कहना है कि अन्तर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है साथ ही प्रत्येक जाति का अपना जाति पंचायत होता है जो जातीय नियमों की रक्षा करता है।

यूँ तो जाति व्यवस्था की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न तरह से दी है जैसे मदन एवं मजुमदार का कहना है कि जाति एक बंद वर्ग है यानि वर्ग की पदस्थिति खुली होती है, कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे की ओर आ-जा सकता है पर जैसे ही इसे बंद कर दिया जाता है तो जाति व्यवस्था का रूप ले लेता है पर मदन एवं मजुमदार के ये विचार सही नहीं है क्योंकि जाति में विवाह संबंधी कठोर नियम पाये जाते हैं। हर जाति का अपना परंपरागत पेशा होता है जिसका कि जाति व्यवस्था में नितांत अभाव होता है, अतः मदन एवं मजुमदार के विचार उपयुक्त नहीं है। इसी तरह सी० एच० कूले का कहना है कि जब वर्ग को वंशानुगत समूह के रूप में बदल दिया जाता है तो यह जाति का स्वरूप ग्रहण कर लेता है लेकिन कूले के विचार भी सही नहीं है क्योंकि जाति केवल एक वंशानुगत समूह ही नहीं बल्कि इसकी कई अन्य विशेषताएँ भी हैं जैसे पवित्रता एवं अपवित्रता की भावना, अंतर विवाह, खान-पान संबंधी नियम आदि-आदि जिसका उल्लेख कूले ने नहीं किया है। दरअसल जी० एस० घुर्ये का कहना है कि जाति व्यवस्था पर जितने लोगों ने काम किये हैं, अगर एक सूची बनायी जाये तो हमें समाज शास्त्रियों की एक फौज खड़ी दिखाई पड़ेगी। इन समाजशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न ढंग से जाति व्यवस्था की परिभाषा दी है।